न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 59/2021 बउनवानी हंसराज मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं प्र.अ. समाधान प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा निवासी–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालाना डूँगरी जयपुर

GCMS No-2021/180

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.8.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 15.4.2021 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी समाधान को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. पत्रांक/समाधान/प्रकोष्ठ(155)/2021/दिनांक 10.2.2021 श्री प्रेमराज मीना निवासी भारजा नदी तहसील मलारना डूँगर ने बाबत स्व0 मुन्नी देवी के नवजात को जन्म देने के 30 मिटन बाद प्रशुता की चिकित्सा कमियो की लापरवाही सें मोत हो गयी का प्रार्थना पत्र दिया गया था आज दिवस तक क्या कार्यवाही की गयी प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए। 2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के पत्र 604 दिनांक 15.3.2021 की संयुक्त जॉच कमेटी का गठन कर जॉच रिपोर्ट जिला कार्यालय को भिजवा दी गयी है क्या जॉच रिपोर्ट भेजी गयी है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/आरटीआई/समाधान/594 दिनांक 06.08.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 15.4.2021 के साथ प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ के नाम 10/– का भा.पो.आर्डर भिजवाये जाने के कारण अपीलान्ट को अति0 जिला कलेक्टर के नाम से भा.पो.आर्डर भिजवाने हेतु जरिये पत्रांक 438 दिनांक 25.6.2021 को लिखा गया गया था किन्तु अपील के नोटिस मे प्राप्त निर्देशानुसार जरिये पत्रांक 594 दिनांक 6.8.2021 से बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.4.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ के पत्रांक 594 दिनांक 6.8.2021 से भिजवायी जा चुकी है। उक्त भिजवायी गयी सूचना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जॉच रिपोर्ट की छायाप्रति प्राप्त होने के कारण उक्त जॉच रिपोर्ट की अप्रमाणित प्रतियॉ भिजवायी गयी है। यदि अपीलान्ट उक्त जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करना चाहता है तो नियमानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। चूंकि वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ की ओर से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:45 IST
Reason: SelfAttested